



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 17669 वर्ष 2025

दिनेश कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से अधिवक्ता : अवध प्रताप सिंह शिशोदिया

प्रत्यर्थी(गण) की ओर से स्थायी अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, प्रांजल मेहरोत्रा

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता अवध प्रताप सिंह शिशोदिया और राज्य प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता बी.के. श्रीवास्तव को सुना गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका आदेश दिनांक 06.11.2025 को चुनौती देती है, जिसके अंतर्गत रिट याचिकाकर्ता को उंचागाँव से जिला कार्यक्रम, प्रबंधन, इकाई, बुलंदशहर में स्थानांतरित किया गया।
3. आज विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलंदशहर के हस्ताक्षरों के अंतर्गत निर्देश प्रस्तुत किए गए, जिसके अनुसार, रिट याचिकाकर्ता का स्थानांतरण प्रभावी नहीं किया जा रहा है और रिट याचिकाकर्ता उसी स्थान पर कार्यरत हैं जहाँ वह कार्य करना चाहते हैं।
4. तदनुसार, रिट याचिका निष्फल होने के कारण खारिज की जाती है।
5. यदि कुछ शेष रह जाता है, तो रिट याचिकाकर्ता के लिए यह न्यायालय के पास पुनः अवमानना हेतु संपर्क करना खुला है।
6. आज प्रस्तुत किए गए निर्देश अभिलेख में ले लिए जाते हैं और परिशिष्ट ए के रूप में अंकित किए जाते हैं।

19 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।